न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी–हरिसिंह मीना (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या – डिक्री 265 सन् 2015

पंजीयन दिनांक 08.10.2015

1. श्रीमती नन्दुबाई पुत्री हेमा जाति गुर्जर निवासी ठुकरावा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
2. श्रीमती देऊबाई पुत्री हेमा जाति गुर्जर निवासी ठुकरावा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
3. छगनलाल पिता गोकल जाति गुर्जर निवासी ठुकरावा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलांट्गण

विरूद्व

1. श्रीमती कमली बाई पुत्री लाला जाति गुर्जर निवासी ठुकरावा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
2. उप–पंजीयक उप–पंजीयन कार्यालय चित्तौड़गढ़
3. भूमिधारी तहसीलदार चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्ट्गण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व
प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री न्यायालय
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़
प्रकरण संख्या 63/2012 प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 19.05.2015

उपस्थित– 1. ललित लढ़ा --अधिवक्ता अपीलान्ट्गण
2. छोगालाल जाट रेस्पोडेन्ट सं. १
3. पूरणमल स्वर्णकार--राजकीय अभिभाषक–रेस्पो.सं. 2 व 3

निर्णय **दिनांक 16.06.2022**

प्रकरण के संक्षित तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट वादिया ने अधीनस्थ विद्ववान विचारण न्यायालय मे अपीलान्ट्गण व रेस्पोडेन्ट सं. 2 व 3 प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि रेस्पोडेन्ट वादिया के पिता स्वर्गीय लाला प्रतिवादी सं. 1 व 2 अपीलान्ट्गण 1 व 2 के पिता हेमा व अपीलान्ट सं. 3 के पिता गोकल के खातेदारी की साबिक आराजी नम्बर 27,49,51,52,53 कुल किता 5 कुल रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा व आराजी नम्बर 46,47 किता 2 रकबा 5 बिस्वा गोकलजी के 3 पुत्र लाला,हेमा व छगना थे। फिर भी सहवन से विरासत से नामान्तकरण अपीलान्ट सं. 1 व 2 के पिता हेमा व अपीलान्ट सं. 3 प्रतिवादी के नाम पर स्वीकृत कर दिया गया। जबकि रेस्पोडेन्ट वादिया के पिता मृतक गोकल के पुत्र होकर वैधानिक वारिस था। लाला का 1/3 हक हिस्सा निहित था। नवीन भू–प्रबन्ध मे नवीन आराजी नम्बर 13,19,20,22,23 कुल किता 5 रकबा 1.28 हैक्टेयर बना। रेस्पोडेन्ट सं. 3 द्वारा नामान्तकरण सं. 144 स्वीकृत किया जिसमे

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

रेस्पोडेन्ट वादिया के पिता का नाम अंकित नही कर अपीलान्ट सं. 1 व 2 के पिता हेमा व [illegible]ना के नाम पर नामान्तकरण निर्णित किया जो रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादिया के हक व अधिकारो के शून्य एवं अप्रभावी है। रेस्पोडेन्ट वादिया द्वारा उक्त आराजीयात मे 1/3 हक हिस्से की घोषणात्मक डिक्री बंटवाडा व स्थायी निषेधाज्ञा की दाद चाही।

उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्ववान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत होने पर अधीनस्थ विद्ववान विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलान्टगण प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। अपीलान्टगण प्रतिवादीगण नोटिस की पालना मे जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुवे। अपनी ओर से जवाबदावा प्रस्तुत नही किया। जिससे जवाब बन्द किया जाकर पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी नियत थी। तत्पश्चात् अपीलान्ट प्रतिवादीगण के प्रार्थना पत्र पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जवाब का अवसर दिया गया। जिस पर अपीलान्टगण प्रतिवादीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया जिसको रेकॉर्ड पर लिया जाकर वास्ते तनकियात कायम की गई। उसके पश्चात् उक्त पत्रावली राजस्व लोक अदालत शिविर मे नियत की गई। जिस पर सुनवाई की जाकर रेस्पोडेन्ट वादिया का वादपत्र दिनांक 19.05.2015 को 1/3 हक व हिस्सा मानते हुए प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की गई।

अधीनस्थ विद्ववान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलान्ट प्रतिवादीगण ने इस न्यायालय मे प्राथमिक निर्णय व डिक्री के विरूद्ध प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।

इस न्यायालय मे अपीलान्ट प्रतिवादीगण की ओर से प्राथमिक निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपील प्रस्तुत होने पर इस न्यायालय द्वारा अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुई। रेस्पोडेन्ट सं. 2 व 3 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। अधीनस्थ विद्ववान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट प्रतिवादीगण ने अपनी बहस मे अपील मे वर्णित तथ्यो को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्ववान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट वादी की ओर से घोषणा बंटवाडा व स्थायी निषेधाज्ञा का वादपत्र प्रस्तुत किया। उक्त वादपत्र मे अपीलान्टगण प्रतिवादीगण की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत होकर वास्ते तनकियात कायमी हेतु नियत था। उक्त पत्रावली मे अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की तनकियात कायम किये बगैर बिना तनकियात के पत्रावली लोक अदालत मे नियत की गई। जिसमे बिना किसी लिखित राजीनामे के अधीनस्थ विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी का वादपत्र प्राथमिक डिक्री किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादिया का विवादित कृषि आराजीयात पर कभी भी कब्जा काश्त नही रहा है। न ही रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादिया ने पिता का भी राजस्व रेकार्ड मे कभी नाम अंकित नही रहा है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादिया ने गलत वादपत्र प्रस्तुत किया जिसको अधीनस्थ विचारण न्यायालय मे बिना साक्ष्य व सबूत के बिना किसी राजीनामे के लोक अदालत मे नियत किया जाकर बिना किसी लिखित राजीनामे के वादपत्र डिक्री किया है। लोक अदालत मे उन्ही प्रकरणो का निस्तारण किया जाता है जिसमे उभयपक्ष उपस्थित होकर राजीनामे के अनुसार प्रकरण का निस्तारण चाहते हो। अपनी बहस के

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

समर्थन मे न्यायिक दृष्टान्त आरएलडब्ल्यु 2008 पार्ट-2 पेज 975 प्रस्तुत की जिसमे पंजाब सरकार व अन्य बनाम झालरसिंह व अन्य मे स्पष्ट किया है कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 19 से 22 एवं सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 89 -लोक अदालत-लोक अदालत की अधिकारिता, शक्तियां और कार्य-लोक अदालत द्वारा अवार्ड दिया गया-लोक अदालते विशुद्ध रूप से सुलह से सम्बन्धित है और पक्षकारो के मध्य समझौते या निपटारे पर आधारित होनी चाहिये-1987 की अधिनियम की धारा 19 से22 के तहत अधिनिर्णय और अवधारण शब्दो का अर्थ अधिनिर्णित लोक अदालत का अधिनिर्णय जो समझौते या निपटारे पर आधारित नही होता वह शून्य होगा-लोक अदालत न्यायालय की तरह प्रतिपक्षीय न्याय निर्णय मे प्रविष्ट नही हो सकती-जहां पक्षकारो के मध्य कोई समझौता या निपटारा नही हो सकता वहां मामले का अभिलेख उस न्यायालय को मामले के कानून सम्मत निस्तारण हेतु पनुः लौटा दिया जाना चाहिये जहां से प्राप्त हुआ हो।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी बहस मे निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादिया ने अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे अपीलान्ट सं. 1 व 2 जो हेमा की पुत्रियां है। अपीलान्ट सं. 3 गोकल का पुत्र है। रेस्पोडेन्ट सं.1 वादिया के पिता लाला भी गोकल का पुत्र रहा है। फिर भी विरासत मे अपीलान्ट सं. 1,2 के पिता हेमा व अपीलान्ट सं. 3 के नाम विरासत दर्ज हो गई व रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादिया के पिता लाला का स्वर्गवास हो चुका है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादिया के पिता लाला का विवादित कृषि आराजीयात मे 1/3 हक व हिस्सा दर्ज रेकार्ड रहा है। उसी अनुसार रेस्पोडेन्ट सं.1 वादिया के पिता लाला व रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादिया काबिज होकर उपयोग उपभोग करती चली आ रही है। रेस्पोडेन्ट सं.1 के पिता लाला व रेस्पोडेन्ट सं. 1 का नाम राजस्व रेकार्ड मे नही होने से रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादिया ने घोषणा बंटवाडा का वादपत्र प्रस्तुत किया है। उक्त वादपत्र मे अपीलान्ट सं. 1 से 3 प्रतिवादीगण की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। पत्रावली वास्ते तनकियात कायम थी। पत्रावली लोक अदालत मे नियत की जाकर अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादिया की उक्त कृषि आराजीयात पैतृक कृषि आराजीयात होने से 1/3, 1/3 हक व हिस्से के अनुसार प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की। जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री विधिनुसार होकर अपील अपीलान्ट्गण प्रतिवादीगण निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 2 व 3 ने अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री राजस्व रेकार्ड के मुताबिक होकर उचित व विधिनुसार होना बताते हुए निरस्त करने का निवेदन किया।

हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओ की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि रेस्पोडेन्ट वादिया ने अधीनस्थ विचारण न्यायालय मे पैतृक कृषि आराजीयात मे घोषणा, बंटवाडा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वादपत्र प्रस्तुत किया। जिसमे अपीलान्ट प्रतिवादीगण की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत किया जाकर पत्रावली वास्ते तनकियात नियत थी। अपरिपक्व पत्रावली को अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा लोक अदालत मे नियत की जाकर बिना किसी लिखित राजीनामे के प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की गई है जो लोक अदालत के द्वारा बिना किसी राजीनामे के प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की है। वह लोक अदालत की मंशा के

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

विपरीत होकर अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त के परिप्रेक्ष्य मे नही होने से न्यायोचित नही माना जा सकता है। जिससे अपीलान्टगण प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलान्टगण प्रतिवादीगण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ प्रकरण संख्या 63/2012 निर्णय व डिक्री दिनांक 19.05.2015 निरस्त की जाकर प्रकरण अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय को इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि दावा जवाबदावा के अनुसार तनकियात कायम की जाकर उभयपक्षकारान की साक्ष्य व सबुत ली जाकर आदेश 20 नियम 5 जाप्ता दिवानी की पालना मे तनकीवार अजरसे नव निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 16.06.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय व डिक्री की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लोटायी जावे।

प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)